कार्यालय जिला पंचायत, आजमगढ़।

पत्रांकः 652 /सा0नि0वि0/निविदा/जि0पं0–आ0/2021–22/ दिनांक 22 अक्टूबर 2021।

अल्पकालिक निविदा–सूचना

जिला पंचायत, आजमगढ़ के स्वामित्व वाली विभिन्न सम्पत्तियों, जिसकी विस्तृत जानकारी जिला पंचायत कार्यालय आजमगढ़ से की जा सकती है तथा निस्तारित किये जाने वाले भवनों की स्थिति का निरीक्षण किया जा सकता है, को जहाँ है, जैसा है कि, स्थिति में नींव सहित तोड़ने एवं भवन से प्राप्त सामग्री/मलवे को नगर पालिका शहरी सीमा से बाहर ले जाने हेतु मुहरबन्द लिफाफे मे निविदा आमंत्रित की जाती है। इस निविदा हेतु निविदा फार्म कार्यालय जिला पंचायत आजमगढ़ से दिनांक 30.10.2021 अपरान्ह 5.00 बजे तक प्राप्त की जा सकेगी। निविदा प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर मुहरबन्द लिफाफे में दिनांक 01.11.2021 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत, आजमगढ़ एवं कार्यालय जिलाधिकारी, आजमगढ़ में रखे निविदा बाक्स में डाले जायेगें। निविदा दिनांक 01.11.2021 को अपरान्ह 03.00 बजे कार्यालय जिला पंचायत, आजमगढ़ में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा की दरें शब्दों एवं अंको में लिखना अनिवार्य होगा। जिसका विवरण निम्नवत है:–

क0 सं0	विकास खण्ड का नाम	परियोजना का नाम व प्रकृति	विभागीय मूल्य (रू0 में)	जमानत धनराशि (रू0 में)	टेण्डर फार्म का मूल्य जी0एस0टी0 सहित (रू0 में)
1	2	3	4	5	6
पन्द्रहवॉ वित्त आयोग (अनटाइड फण्ड) योजनान्तर्गत–					
1	मुख्यालय	जिला पंचायत आजमगढ़ की भूमि पर स्थित जर्जर सी0ओ0 आफिस चकबन्दी सगड़ी।	35000.00	3500.00	590.00
2	मुख्यालय	जिला पंचायत आजमगढ़ की भूमि पर स्थित जर्जर सी0ओ0 आफिस चकबन्दी तहबरपुर।	86000.00	8600.00	590.00
3	मुख्यालय	जिला पंचायत आजमगढ़ की भूमि पर स्थित जर्जर जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय।	88000.00	8800.00	590.00

निविदा की शर्तेः–

1. प्रत्येक निविदादाता को निविदा में भाग लेने से पूर्व स्तम्भ 04 में अंकित जमानत धनराशि (संयुक्त अथवा पृथक–पृथक) को डी0डी0 अथवा एफ0डी0आर0 जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आजमगढ़ के पक्ष में देय/ बंधक हो, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। उक्त के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगा।
2. निविदादाता द्वारा टेण्डर में भाग लेने से पूर्व सम्पत्ति का निरीक्षण किया जा सकता है। निविदादाता का स्वयं का उत्तरदायित्व होगा कि निविदा से पूर्व सम्पत्ति का निरीक्षण कर लें।
3. उपरोक्त भवनों को ताड़ने (नींव सहित) के पश्चात् भवनों से प्राप्त उपयोगी सामाग्री एवं नअुपयोगी सामग्री को शहरी क्षेत्र के बाहर किये जाने वाले व्यय को घटाकर जिला पंचायत आजमगढ़ की जिलानिधि में जमा किये जाने की अनुमानित धनराशि सम्बन्धित सम्पत्ति के सामने स्तम्भ–3 में अंकित है। इस धनराशि से कम की निविदा स्वीकार नही की जायेगी तथा निविदा की धनराशि को हजार रूपये के गुणांक में ही निविदा फार्म पर अंकित किया जायेगा। निविदा स्वीकृति के 03 दिवस के अन्दर सम्पूर्ण धनराशि जिला पंचायत, आजमगढ़ के जिला निधि खाता में जमा करना अनिवार्य होगा।
4. कार्य पूर्ण करने की अवधि निविदा स्वीकृति से 15 दिन होगी।
5. निविदा मूल्य को डी0डी0/नगद के रूप में जमा किया जायेगा, जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, आजमगढ़ के पक्ष में देय होगा।
6. बिना किसी भी कारण के किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
7. यदि एक सप्ताह में कार्य प्रारम्भ नही किया जाता है तो निविदा के समय जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
8. उपरोक्त निविदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष जिला पंचायत, आजमगढ़ का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(ओम प्रकाश सिंह)
अभियन्ता

(ए0के0 सिंह)
अपर मुख्य अधिकारी

(विजय यादव)
अध्यक्ष

पृ0सं0: 652 /तद् दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आजमगढ को सूचनार्थ प्रेषित।

3– वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, आजमगढ़।

4– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, आजमगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निविदा सूचना की संलग्न साफ्ट कापी को जनपद की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

5– दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं आज को अपने सम्मानित समाचार पत्र में 08 प्वाईन्ट के अक्षरो में न्यूनतम स्थान पर वाराणसी संस्करण के अगले अंक में आजमगढ़ पृष्ठ पर एक दिन प्रकाशित कर बिल शासकीय दर से भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भेजने का कष्ट करें।

6– कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(ए0के0 सिंह)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, आजमगढ़।